तम्बाकू नियंत्रण में विभिन्न विभागों की भूमिका

तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 (कोटपा) के अनुपालन में विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियाँ:

क्रम	विभाग का नाम / अधिकारी	जिम्मेदारियाँ
1	स्वास्थ्य विभाग	सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य,उत्पादन आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 को कियान्यवन की जिम्मेदारी है। समय समय पर अपने जिला अधिकारी को जिले के अन्दर होने वाली गतिविधियो के विषय पर अवगत करायें। जहां पर समस्या आ रही हो वहां पर जिला पदाधिकारी के आदेश के द्वारा समाधान करवायें। प्रति माह जिला स्टीयरिग कमेटी/टास्क फोर्स की मीटिग का आयोजन करवायें। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा करवायें। **MPOWER** strategy को अपनाते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है – **M**onitor tobacco use and prevention polices **P**rotect people from tobacco use **O**ffer help to quit use **W**arn about the dangers of tobacco **E**nforce bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship **R**aise taxes on tobacco जिला अधिकारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के निम्न कार्यक्रमो के साथ एकीकत करके जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा करवायें– 1. Revised National Tuberculosis Control Programme 2. School Health Programme 3. National Programme for Prevention and Control of Diabetes, Cardiovascular disease and Stroke 4. National Mental Health Programme 5. Others National Programmes with different department
4	शिक्षा विभाग	शैक्षिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे के भीतर आने वाले क्षेत्र पर सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री को प्रतिबन्धित किये जाने एवं उस क्षेत्र को तम्बाकू क्षेत्र मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में शैक्षिक संस्थान के प्रभारी स्वामी अथवा प्रबन्धक द्वारा परिसर से बाहर किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई बोर्ड स्थापित किया जायेगा, शैक्षिक संस्था के 100 गज की दूरी के घेरे के क्षेत्र में सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों के विक्रय का प्रतिषेध है और रू0 200/– तक का जुर्माना का प्रावधान है।

		शैक्षिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे के भीतर आने वाले क्षेत्र पर सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री को प्रतिबन्धित किये जाने एवं उस क्षेत्र को तम्बाकू क्षेत्र मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में शैक्षिक संस्थान के प्रभारी स्वामी अथवा प्रबन्धक द्वारा परिसर से बाहर किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई बोर्ड स्थापित किया जायेगा, शैक्षिक संस्था के 100 गज की दूरी के घेरे के क्षेत्र में सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों के विक्रय का प्रतिषेध है और **रू0 200/–** तक का जुर्माना का दण्डनीय अपराध है।
8	इण्डियन मेडिकल एशोसियशन (आई0एम0ए0)	गैर–सरकारी चिकित्सा संस्थाओं को धूम्रपान मुक्त करवाने के लिए आपने स्तर से सभी को अवगत करायेंगे। प्रत्येक चिकित्सा संस्थाओं पर तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभाव के विषय पर बोर्ड लगाकर आम जन को जागरूक किया जाये। बोर्ड ऐसे स्थान पर लगाया जाये जहॉ से पढ़ना आसान हो। तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों को यह बताया जाये कि तम्बाकू का सेवन बहुत हानिकारक है।
9	गैर–सरकारी संस्था (एन0जी0ओ0)	गैर–सरकारी संस्था से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आम जन को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाये व समय समय पर **सेमिनार/रैली** तथा अन्य कार्यक्रमों से जागरूक करने का प्रयास करें। गैर–सरकारी संस्था के द्वारा जो अन्य कार्यक्रम चलाये जा रहे हो तो उसके साथ तम्बाकू विषय को भी सम्मिलित किया जाये।
10	मीडिया	समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अपेक्षा की जाती है कि तम्बाकू से होने वाले दुष्परिणाम एवंम् तम्बाकू नियंत्रण सम्बन्धित क्रियाकलापों का प्रचार–प्रसार किया जाए। ताकि आमजन जागरूक हो सकें।